न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 27 / 2023
जीसीएमएस नम्बर :: 2023 / 122

अपीलाण्ट :—
जयेन्द्र सिंह पुत्र श्री जबरसिंह, जाति राजपूत, निवासी श्री गज निकेतन, राईका बाग पैलेस, जोधपुर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—
1. दिग्विजय सिंह तथाकथित पुत्र श्री जबरसिंह, जाति राजपूत, निवासी होली स्प्रीट स्कूल, पावटा बी रोड जोधपुर (राज.)
2. मृत निहाल सिंह तथाकथित पुत्र श्री जबरसिंह के कायम मुकाम :—
   2/1. श्रीमती मीराकंवर पत्नी निहालसिंह
   2/2. भरतसिंह पुत्र निहालसिंह
   2/3. शिवेन्द्रसिंह पुत्र निहालसिंह जातिगण राजपूत निवासी होली स्प्रीट स्कूल पावटा बी रोड़ जोधपुर (राज.)
   2/4. श्रीमती सृष्टि राठौड़ पुत्री निहालसिंह पत्नी अतुल्यप्रतापसिंह, जाति राजपूत, निवासी शाकम्भरी माता मन्दिर के पास शाहपुरा उत्तर प्रदेश
3. मांगीलाल पुत्र जावंतसिंह
4. मृत कालूसिंह पुत्र मांगीलाल के कायम मुकाम :—
   4/1. श्रीमती शान्ति पत्नी कालूसिंह
   4/2. किशनसिंह पुत्र कालूसिंह
   4/3. विक्रमसिंह पुत्र कालूसिंह
   4/4. जेठूसिंह पुत्र कालूसिंह
   4/5. शारदा पुत्री कालूसिंह जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर (राज.)
5. नारायणसिंह पुत्र मांगीलाल,
6. जगदीश पुत्र मांगीलाल, जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर (राज.)
7. तहसीलदार, रोहट

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

जिला कलेक्टर, पाली

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 27.08.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रोहट द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2020/1390 दिनांक 01.07.2020 की पालना ग्राम खारडा के खसरा संख्या 292/1 के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3718 दिनांक 07.07.2020 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित व श्री धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी उपस्थित हुए। प्राथमिक आपत्ति बहस व अन्तिम बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि श्री जबरसिंहजी के खुदकाश्त व खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सोनाईलाखा, सिणगारी व खारड़ा में अलग अलग खसरा नम्बरान की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। श्री जबरसिंह की मृत्यु दिनांक 18.01.1986 को हुई। श्री जबरसिंह के विरूद्ध अनेक सिलिंग प्रकरण भिन्न–भिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहे व रेस्पो. संख्या 01 व 02 ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है। श्री जबरसिंह ने अपनी खातेदारी भूमि को कभी भी अपीलाण्ट अथवा रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो को न तो बक्शीश की है, न ही किसी प्रकार का विभाजन व पंजीकरण करवाया गया। रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 ने श्री जबरसिंह की खातेदारी भूमि हड़प करने की नीति से स्वयं को जबरसिंह के पुत्र बताकर अनेक बार कानून के विपरीत व झूठे सीलिंग मुकदमे किये है। श्री जबर सिंह के जीवित रहते हुए भी रेस्पो. संख्या 01 व 02 द्वारा जबरसिंह के विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने व उनके जीवित रहते हुए भी एक विरासत का नामान्तरकरण संख्या 106 स्वीकृत करवा लिया व इसी प्रकार ग्राम खारड़ा, सिणगारी व सोनाईलाखा में स्थित सम्पूर्ण खातेदारी की कृषि भूमि अपने नाम भिन्न–भिन्न नामान्तरकरण से दर्ज करवा ली जबकि तत्समय महाराजा श्री जबरसिंहजी जीवित थे और उन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं की थी और बाद में उनकी ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जो नोटेरी जोधपुर द्वारा दिनांक 25.07.1980 को प्रमाणित किया गया था, जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो को न तो पुत्र बताया न ही उनकी माता को पत्नी बताया था। उक्त नामान्तरकरणों को भिन्न–भिन्न न्यायालयों में अवैद्य माना गया है। श्री जबरसिंहजी द्वारा स्पेन से अपने आम मुख्तियार श्री मनोहरसिंह धामली को दिनांक 08.01.1970 को पत्र प्रेषित किया था, जिसमें भी लिखा था कि उन्होंने किसी को भी न तो कोई बक्शीश की है, न ही किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित किया है। उपरोक्त पत्र में अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट की बहिने हितेन्द्रकुमारी, गजेन्द्रकुमारी, कपिलेन्द्रकुमारी, राजेन्द्रकुमारी और उनकी माता देवेन्द्रकुमारी को ही उत्तराधिकारी माना था व सन् 1965 के डिक्लेरेशन शूट में भी उक्त को ही श्री जबरसिंह का उत्तराधिकारी माना है। श्री जबरसिंह द्वारा सीलिंग मुकदमा संख्या 48/1970 में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि बाबत् विकल्प पेश किया था और उपरोक्त विकल्प अनुसार ग्राम सिणगारी के खसरा नम्बर 97 रकबा 476 बीघा में से 263 बीघा अर्थात् 30 स्टेण्डर्ड एकड़ उनके द्वारा रखी गई थी शेष भूमि अर्थात् ग्राम खारड़ा के खसरा नम्बर 251/1, 251/2, 280, 292/1 व अन्य गांवो की भूमि को सरेण्डर कर दिया था व उपरोक्त विकल्प

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अर्थात् सरेण्डर अनुसार उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 20.03.1986 को उपरोक्त पालना बाबत् आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश में पूर्व में चले सिलिंग प्रकरणो का पूर्ण विवरण दर्ज है। उपरोक्त आदेश में पूर्व में गलत रूप से रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के पक्ष में पारित किये गये नामान्तरकरणों को भी निरस्त किये गये थे तथा भूमि को सीलिंग नियमो के अन्तर्गत अधिग्रहण मानी गई थी। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट्स द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में पेश की गई जो पोषणीय नहीं होने से खारिज की गई। जिसके क्रम में रेस्पोडेण्ट्स ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान में एक निगरानी प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा जैर नामान्तरकरण दिनांक 12.10.1970 के बंटवारे के आधार पर पारित करवाया। उपरोक्त बंटवारा आदेश में केवल माता देवेन्द्र कुंवर के अलावा सभी को नाबालिग बताया परन्तु अपीलाण्ट सन् 1970 को बालिग था। साथ ही दिनांक 12.10.1970 को श्री जबरसिंह जीवित थे और उपरोक्त भूमि श्री जबरसिंह के खातेदारी की कृषि भूमि थी, इसलिए उनके जीवनकाल में पुत्र पुत्रियों अथवा माता को न तो हक, हकुक, अधिकार प्राप्त थे, न ही बंटवारा करने के अधिकार थे। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बंटवारा दस्तावेज दिनांक 12.10.1970 के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो को विधिक रूप से कोई हक, हकुक, अधिकार न तो प्राप्त हुए है, न ही प्राप्त हो सकते है। उक्त दस्तावेज विधिक रूप से शून्य दस्तावेज है, जिसे किसी भी न्यायालय से शून्य घोषित करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। जैर अपील आदेश मय नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के साथ खातेदार के रूप में दर्ज रहा है और उपरोक्त भूमि श्री जबरसिंह की खातेदारी की रही है। अपीलाण्ट श्री जबरसिंह का पुत्र है, फिर भी जानबूझकर उपरोक्त भूमि को खुर्दबुर्द करने की नियत से रेस्पोडेण्ट्स ने मिलकर सरकारी भूमि को बेचाण हस्तान्तरण करवाने की नियत से फर्जी व झूठी तथ्यात्मक एवं मौके की रिपोर्ट तैयार की और उसके आधार पर बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रूप से जैर अपील आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से अवैध, अनुचित एवं शून्य होने से निरस्त योग्य है। सिलिंग न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 48/1970 में पारित आदेश में स्पष्ट फाईडिंग दी गई है कि प्रपत्र 4 अनुसार श्री जबरसिंह के रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो पुत्र नहीं बताये गये है तथा उपरोक्त बंटवारा दिनांक 12.10.1970 पर श्री जबरसिंह अथवा उनके एटोर्नी होल्डर के हस्ताक्षर नही होने से उसे कानूनी नहीं माना गया तथा श्री जबरसिंह के जीवनकाल में उत्तराधिकारियों के नाम पारित नामान्तरकरण को भी गैर कानूनी माना गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी अपने निर्णय में जबरसिंह को जीवित माना है व सीलिंग प्रकरण के संबंध में विवेचन किया गया है कि उक्त प्रकरण सीलिंग प्रकरण से बचने के लिये तैयार किया जाना बताया है साथ ही जैर नामान्तरकरण को भी अवैद्य माना है। राजस्व अधिकारी भूमिधारी रेस्पोडेण्ट तहसीलदार द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 01.07.2020 को पारित कर उपरोक्त अवैध व शून्य दस्तावेज दिनांक 12.10.1970 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन की कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किया जो काबिले खारिज है। बंटवारा आदेश दिनांक 12.10.1970 में ग्राम खारड़ा के खसरा नम्बर 251/1, 2800, 292/1, 2 एवं 252/3 दर्ज है, जबकि उपरोक्त तथाकथित दस्तावेज के आधार पर पारित म्यूटेशन संख्या 3718 में खसरा नम्बर 292/1 रकबा 73 बीघा 18 बिस्वा का दर्ज कर दिया, जबकि उक्त दस्तावेज में खसरा नम्बर 292/1 का रकबा पोने आठ बीघा तीन बिस्वा दर्ज है। अतः जैर नामान्तरकरण अवैद्य होने से काबिले खारिज है। इस संदर्भ में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये जो निम्न है :– 2017(1)

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

RRT 720 (SC), 2023 (1) RRT 201, 2019 (1) RRT 1206, 2022 (1) RRT 72, 1998 RRD 319 (HC), 2018 (1) RRT 601 (SC), 2022 (1) RRT 493, 2008 (2) RRT 1183 (HC), 2002 (1) RRT 648 (HC), 2006 RRD 837, 2010 (2) DNJ 545 (SC), 2010 (2) DNJ 545 (SC) प्रस्तुत की है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश मय जैर नामान्तरकरण निरस्त फरमावे व जैर आराजी को माफिक आदेश दिनांक 20.03.1986 अनुरूप सिवायचक दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। जैर नामान्तरकरण पारिवारिक बंटवारे के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैर नामान्तरकरण भू राजस्व नियमों के तहत ही स्वीकृत किया गया है। मनोहरसिंह जो अपीलाण्ट व इनके परिवार का हितबद्ध व्यक्ति है के द्वारा ऑप्शन देने की कार्यवाही की गई व स्वयं को आम मुख्तियार बताया। उक्त आम मुख्तियार को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था तथा प्रपत्र 04 में जानबूझकर रेस्पोडेण्ट व इसका भाई निहालचन्द का नाम दर्ज नहीं किया तथा इस बाबत् शुरू से अभी तक कार्यवाहियां विचाराधीन है। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 10.08.1971 को अपने हस्ताक्षर कर पार्टीशन सही होना स्वीकार किया तथा कृषि भूमि जो रमणिया (बाली) पाल (जोधपुर), सिणगारी, खारड़ा व सोनाईलाखा के बाबत् भी बंटवारा हुआ परन्तु इस बाबत् कोई तथ्य दर्ज नहीं किये गये। मनोहरसिंह को सीलिंग कार्यवाही में ऑप्शन बदलने का अधिकार नहीं था तथा वर्ष 1981 में जो ऑप्शन अधिवक्ता श्री भगवान सिंह देवड़ा द्वारा दिनांक 22.12.1981 को दिया गया, उसमें खसरा संख्या 251/3 ही दर्ज है तथा अन्य खसरान् जो 280, 200, 292, 251/1 व खसरा संख्या 252/2 दर्जसुदा नहीं है तथा ग्राम सिणगारी की भूमि ऑप्शन में दी गई तथा उक्त तमाम तथ्य रेग्यूलर शूट एवं सिविल कार्यवाही में ही विचारण योग्य है। 70 के दशक से पूर्व अपीलाधीन खसरान की कृषि भूमि में दिग्विजय सिंह व निहालसिंह का नाम दर्ज रहा है व लगातार दर्ज कर रहा है तथा इसके साथ जयेन्द्रसिंह का भी नाम दर्ज रहा है तथा दिनांक 12.10.1970 के बंटवाडे से जयेन्द्रसिंह के हिस्से की भूमि दिग्विजय व निहालसिंह के हिस्से में आ गई इस कारण जैर नामान्तरकरण सही स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट जयेन्द्रसिंह प्रपत्र 04 के के जरिये जो वर्ष 1965 में ऑप्शन प्रस्तुत किया गया, तत्समय जयेन्द्रसिंह की उम्र 11 वर्ष थी यानी वर्ष 1970 के समय नाबालिग था व श्री जबरसिंह वर्ष 1954 में भारत छोड़कर चले गये थे, इस कारण अपीलाण्ट को अपील करने का अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट व रेस्पो. की माता अलग-अलग होने के कारण उक्त झुठे तथ्य पुत्र होने के संबंध में दर्ज किये गये है जो अपीलाण्ट की मानसिकता को दर्शाता है। अपीलाण्ट की माता के नाम पासपोर्ट जारी हुआ है उस पासपोर्ट में अपीलाण्ट के पिता का नाम महाराजा जबरसिंह दर्जशुदा है इसमें दिग्विजय व निहालसिंह का नाम भी दर्जशुदा है तथा रेस्पोडेण्ट की माता का नाम शशि भी दर्जशुदा है तथा उक्त पासपोर्ट दिनांक 07.03.1963 को जारी हुआ है व अन्य दस्तावेजों में भी रेस्पोडेण्ट के पिता का नाम महाराजा जबरसिंह ही दर्ज है। अतः जैर अपील सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे। इस संदर्भ में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये जो निम्न है :- RRT 2017 (1) 619, RRT 2018 (1) 491, RRT 2017 (2) RRT 1247, RRT 2010 (2) SC 814, DNJ 2021 (1) REV 94, SRJ 2004 (7) 280, RRT 2004 (2) 988, RRT 2010 (2) 1222, DNJ 2024 (1) REV 38, RRT 2010 (1) 625, RRT 2013 (1) 383, RRT 2003 (1) HC 651, DNJ 1998 41, SCCD 2020 (1) 263 प्रस्तुत की है। अतः जैर अपील सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ-पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण

करते है व सभी रेस्पोडेण्ट हितबद्ध पक्षकार होने से अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम रेस्पोडेण्ट द्वारा पेशसुदा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर जिसमें उसके द्वारा विभिन्न दस्तावेजात को रेकर्ड पर रखे जाने का आवेदन किया है। उस पर निर्णय करना उचित समझते है।

रेस्पोडेण्ट ने यह प्रार्थना–पत्र पेश कर कुल 21 दस्तावेजात की फोटो–प्रति प्रस्तुत कर उन्हें सुसंगत होने तथा पूर्व में प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिये जाने के कारण उन्हें रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया जिसका जवाब अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा देते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त सभी दस्तावेज असल अथवा प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं है। इसलिए उक्त दस्तावेजों को रेकर्ड पर नहीं रखा जा सकता। आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के आवेदन में वर्णित कतिपय दस्तावेजों को न्यायालय ने अवैध मान रखा है। अतः अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रमाणित तथ्य यह है कि किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित अथवा असल प्रति को ही दौराने अपील आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत रेकर्ड पर रखा जा सकता है। इस प्रकरण में भी सभी दस्तावेजों की फोटो–प्रति पेश की है जो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। अतः अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

प्रकरण में अब हम गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना उचित समझते है। सर्वप्रथम हम यह पाते है कि जैर नामान्तरकरण एक बंटवारे की पालना में दर्ज किया गया है। उक्त बंटवारे में मूल भूमिधारी जबर सिंह की सहमति अंकित नहीं है तथा प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि विभाजन के सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण सीलिंग से प्रभावित भूमियों के संबंध में है जिससे संबंधित एक निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। उक्त मौलिक तथ्य जिसमें सीलिंग का प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने, बंटवारे से प्रभावित सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर नहीं मिलने एवं सीलिंग प्रकरण में समर्पित की गई भूमि अन्तिमता का विवेचन किये बिना तथा तहसीलदार द्वारा स्वयं उपखण्ड अधिकारी होते हुए स्वयं को निर्देश दिये जाने, जबर सिंह के वास्तविक वारिशान की जानकारी की अधिकृतता की जांच करने के तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई फाईंडिंग नहीं दी है।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की :– **1. 2017(1) RRT 720 (SC), 2023 (1) RRT 201** :– यह स्वीकृत तथ्य है कि दूसरा ऑप्शन दिनांक 20.03.1986 के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट की निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित है अर्थात् सीलिंग प्रकरण लम्बित है तथा भूमि खारडा व सोनाईलाखा की भूमि को अधिग्रहण के आदेश देने के बाद भी तहसीलदार द्वारा 38 वर्षों में पालना नहीं की है। सीलिंग के प्रकरण लम्बित रहने या प्रभावित भूमि का बेचान व नामान्तरकरण दोनों ही अवैद्य व void है।

2. 2006 RRD 837 :– तथाकथित विभाजन विलेख दिनांक 12.10.1970 void है क्योंकि भूमि महाराजा जबरसिंह के अकेले की थी, पुत्र, पुत्रियां पत्नी सहस्वामी या सहखातेदार नहीं थे, उनके जीवनकाल में पत्नी, पुत्र, पुत्री कोई अधिकार ही नहीं रहता है। उनकी मृत्यु दिनांक 18.01.1986 को हुई है। इसलिए दस्तावेज void है जिसे किसी भी न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है।

जिला कलेक्टर, पाली

3. 2010 (2) DNJ 545 (SC) :– अधर्मज सन्तान खुदकाश्त अथवा पैतृक सम्पति में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, केवल स्वअर्जित सम्पति में ही हिस्सा प्राप्त कर सकेंगे।

प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की :– **1. RRT 2010 (2) SC 814** :– दस्तावेज पर हस्ताक्षर अस्वीकार नहीं। बल व कपट से होने का आरोप नहीं। दस्तावेज सही व हस्ताक्षरित होने की उपधारण।

2. DNJ 2021 (1) REV 94 :– पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत दस्तावेज की वैद्यता व अवैद्यता पर विचार करने हेतु राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं।

3. **SRJ 2004 (7) 280** :– धारा 90 ई वी आई एक्अ के अनुसार 30 वर्ष से पुराना दस्तावेज है तो सही होने की उपधारणा।

4. **RRT 2004 (2) 988** :– पंजीकृत दस्तावेज है तो नामान्तरकरण स्वीकृत करना कब्जा नहीं देखना।

5. **RRT 2010 (2) 1222 & DNJ 2024 (1) REV 38** :– नामान्तरकरण एक समरी कार्यवाही राईट, टाईटल, इंट्रस्ट निर्णीत नहीं किये जा सकते।

6. **RRT 2010 (1) 625** :– उत्तराधिकार के प्रश्न समरी प्रक्रिया में निर्णीत नहीं।

7. **RRT 2013 (1) 383** :– नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपीलाण्ट पक्षकारान् नहीं, अपील के लिए धारा 96 सी पी सी की इजाजत नहीं अपीलाण्ट ने सिवायचक भूमि बताई, पीड़ित पक्ष नहीं।

8. **RRT 2003 (1) HC 651** :– भूमि में उत्तराधिकार का कठिन विवाद्यक नामान्तरकरण अपील में नहीं, स्वत्व तय नहीं होता।

9. **DNJ 1998 41, SCCD 2020 (1) 263** :– पावर ऑफ अटॉर्नी हॉल्डर मूल व्यक्ति की ओर से साक्ष्य नहीं दे सकता है। मूल व्यक्ति ने साक्ष्य नहीं दी व जिरह नहीं।

प्रकरण में उपरोक्त समस्त विवेचन व प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि इस प्रकरण में प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उक्त प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण सीलिंग से संबंधित प्रकरण है जिसमें अभी एक निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित है तथा सीलिंग के प्रकरण लम्बित रहने के दौरान किसी भी प्रकार का नया नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना विधि सम्मत नहीं है। हमारे द्वारा उपरोक्त प्रकरण में ऊपर किये गये विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाते है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम–दृष्ट्या ही विधि–विरूद्ध होने से जैर नामान्तरकरण संख्या 3718 दिनांक 07.07.2020 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, रोहट को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रभावित पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ प्रेषित किया जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक **01.10.2024** को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक **27.08.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली